न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः–681/2020 (जीसीएमएस नं. 2020/00502)

1. प्रमोद कुमार शर्मा पुत्र श्री मदन लाल शर्मा उम्र 43 वर्ष निवासी ग्राम मोरवा तहसील चिड़ावा पुलिस थाना पिलानी जिला झुन्झुनू, राजस्थान

––अपीलान्ट

बनाम

1. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू जिलाधीश कार्यालय झुन्झुनू राजस्थान।

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः–

1. श्री सम्मत राम शर्मा एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांकः 04.04.2022

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.02.2020 से असंतुष्ट होकर आर्म्स अधिनियम की धारा 18 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी भूतपूर्व सैनिक है तथा अपीलार्थी के पास लाईसेन्सशुदा पिस्टल 32 बोर नम्बर आरपी–208186 है जिसका लाईसेन्स नम्बर के/591/आर्म्स/डीएम/कुल/2013–14/8 है, जो दिनांक 12.06.2019 तक मान्य था एवं जिला मजिस्ट्रेट कुलगांव (जम्मू एण्ड कश्मीर) द्वारा जारी किया हुआ था एवं वर्तमान में अपीलाथ्री ग्राम मोरवा तहसील चिड़ावा पुलिस थाना पिलानी जिला झुन्झुनू राजस्थान में निवास कर रहा है, प्रार्थी के लाईसेन्स का नवीनीकरण नही हो पाने के कारण दिनांक 12.12.2019 को अपने लाईसेस में वर्णित हथियार को जमा कराने के सद्भावी उद्देश्य से अपीलार्थी ने कलक्टर झुन्झुनू के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन जिला कलक्टर झुन्झुनू ने अपने आदेश दिनांक 06.02.2020 द्वारा अपीलार्थी का शस्त्र सम्बन्धित पुलिस थाने में जमा कराने के साथ–साथ अपीलार्थी का शस्त्र लाईसेन्स को भी तुरन्त प्रभाव से निरस्त करने का आदेश पारित कर दिया जिसकी जानकारी अपीलार्थी को होने पर अपीलार्थी ने आदेश की प्रमाणित प्रति लिए प्रार्थना पत्र लगाया, प्रमाणित प्रति अपीलार्थी को दिनांक 02.03.2020 को मिली जिस पर अपीलार्थी ने जानकारी की दिनांक से हस्तगत अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई है तथा विलम्ब के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत किया गया है जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि जिला कलक्टर झुन्झुनू का अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.02.2020 कानूनी प्रावधनों के विपरित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि अधीनस्थ जिला कलक्टर झुन्झुनू ने

P.T.O.

अपने अपीलाधीन आदेश में यह उल्लेख किया है कि शस्त्र लाईसेंन्सधारी अपने नाम से जारी शस्त्र अलाईसेन्स में दर्ज शस्त्र को जमा करवाना व शस्त्र लाईसेन्स निरस्त करवाना चाहता है इसलिये शस्त्र जमा करने के साथ–साथ शस्त्र लाईसेन्स को तुरन्त प्रभाव से निरस्त करने के आदेश पारित कर दिया जबकि अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में केवल लाईसेन्स नवीनीकरण होने तक अपने शस्त्र को जमा कराने की प्रार्थना की थी जिसका गलत अर्थ निकालते हुए जिला कलक्टर झुन्झुनू ने अपीलार्थी का शस्त्र लाईसेन्स निरस्त करने में गंभीर कानूनी भूल की है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थी का लाईसेन्स जिला मजिस्ट्रेट कुलगांव द्वारा जारी किया हुआ था एवं जम्मू एण्ड कश्मीर में धारा 370 हटा दिये जाने के कारण अपीलार्थी के लाईसेन्स का नवीनीकरण नही हो पा रहा है इसी वजह से अपीलार्थी ने केवल मात्र अपने शस्त्र को जमा कराने का आवेदन पत्र पेश किया था लेकिन जिला कलक्टर झुन्झुनू ने अपीलार्थी का शस्त्र लाईसेन्स निरस्त करने के आदेश मनमाने कयास के आधार पर पारित कर दिया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ जिला कलक्टर झुन्झनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.02.2020 को निरस्त फरमाया जावें एवं अपीलान्ट का शस्त्र लाईसेन्स नवीनीकरण/पंजीयन पुनः बहाल करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलार्थी द्वारा उनके लाईसेन्स का नवीनीकरण नही होने के कारण हथियार को जमा कराने हेतु अधीनस्थ जिला मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके सम्बन्ध में अधीनस्थ जिला मजिस्ट्रेट झुन्झुनू द्वारा उक्त हथियार को सम्बन्धित थाने में जमा कराने के साथ–साथ अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र को भी निरस्त किये जाने बाबत अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जबकि शस्त्र अनुज्ञा पत्र को निरस्त कराने सम्बन्धी निवेदन अपीलार्थी द्वारा नही किया गया है। ऐसे में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.02.2020 को अपीलान्ट का शस्त्र लाईसेन्स को तुरन्त प्रभाव से निरस्त किये जाने की हद तक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में अपीलार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र के नवीनीकरण/निरस्त किये जाने बाबत पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 04.04.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।